श्री ईश दत्त यादव: मैंने तो इनको बड़ा नेता समझकर अनुमति चाही, आपकी जो व्यवस्था है उसको माना ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : ईश दत्त जी, मैं आपको एक बात कहूं। मैंने उनको बुला लिया है इसलिए उनको यील्ड करना चाहिए।

I cannot ask him to sit down. You should also have courtesy towards the Member.

श्री ईश दत्त यादव: आपकी अनुमति है कि ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति: मेरी अनुमति नहीं है। आप बोल रहे हैं मेरी बगैर अनुमति के।

श्री ईश दत्त यादव: श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी ने और श्री जायसवाल जी ने जो कुछ कहा है वह वास्तविकता के खिलाफ कहा है। इन लोगों को चाहिए था कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव लाते जो पहाड़ के लिए मुख्य मंत्री ने किया है। मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी ने अखबारों में इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है कि मैदान से पहाड़ के लोगों को हटा दिया जाएगा, बल्कि उत्तराखंड बनाने का निर्णय किया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: मुख्य मंत्री ने आज तक डिनाइ नहीं किया है। यह स्टेटमेंट 17 अगस्त का है मुख्य मंत्री का।...**(व्यवधान)**... पांच दिन बीत गए, आज तक मुख्य मंत्री ने डिनाइ नहीं किया है। अगर ईश दत्त यादव जी यह कह दें कि मुख्य मंत्री ने डिनाइ किया है तो मैं इसी समय सदन से रिजाइन कर दूंगा। ...**(व्यवधान)**...इनको अधिकार नहीं है मुख्य मंत्री के वक्तव्य को डिनाइ करने का। मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, आज तक उसको डिनाइ नहीं किया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री ईश दत्त यादव: राजनीति से प्रेरित कुछ लोग उत्तर प्रदेश की सरकार और मुलायम सिंह जी को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। यह सब गलत है, जो ऐसा कहा जा रहा है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति: ईश दत्त जी, बैठिए। वह कह रहे हैं कि अगर यह बात उन्होंने डिनाइ की होगी तो वह रिजाइन कर देंगे। आप चाहते हैं यह रिजाइन कर दें यहां से? बोलिए।

श्री ईश दत्त यादव: मैडम्, यह रिजाइन कर सकते हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): महोदया, मुख्य मंत्री यदि बयान का खंडन करें तो सही होगा, आपके खंडन से क्या होगा। मुख्य मंत्री की मैं भर्त्सना करता हूं। मुख्य मंत्री ने एक प्रकार से पहाड़ और मैदान के लोगों के बीच मतभेद पैदा कर दिया है। मुख्य मंत्री ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उसको कंडम किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा गलत किया है। ...**(व्यवधान)**... यदि हिम्मत है तो कहें कि मैंने नहीं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jaiswal, I am sorry. I am not going to reopen it. ...*(Interruptions)*

Re. M.Ps Local Area Development Scheme

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): उपसभापति महोदया, 23.12.93 को प्रधान मंत्री जी ने संसद में बड़े धूम धड़ाके के साथ एम० पी० लोकल एरिया डवलपमेंट स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम के अन्तर्गत उन्होंने यह कहा कि:

Under this scheme, each MP will have the choice to suggest to the District Collector works to the tune of Rs. one crore per year, to be taken up in their respective constituencies, with each individual work not exceeding Rs. 10 Lakhs.

और राज्य सभा के मेम्बर्स को कोई एक डिस्ट्रिक्ट चुनकर के उसके अंदर एक करोड़ रुपया खर्च करने के लिए सुझाव दिए जाएं और उसका पालन किया जाए। पांच लाख रुपए हर मेंबर के हिसाब से 1993-94 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे भी दिए गए। पांच लाख रुपए भेज दिए गए और यह कहा गया कि 1994-95 में एक करोड़ रुपया भेजा जायेगा। परन्तु इसके बाद उपसभापति महोदया, जो चिट्ठी सेंट्रल गवर्नमेंट से समस्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गई है उसमें कहा गया है कि:

It may also be noted that no separate allocation or allotment of funds of Rs. one crore per MP is envisaged under the scheme during 1994-95.

1994-95 में जो पहले पांच लाख रुपए भेजे गए, उस हिसाब से कोई पैसा नहीं भेजा जायेगा।

[प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा]

यह लैटर है जो समस्त चीफ सैक्रेटरी को गया है:

In so far as the works under rural development scheme programmes are concerned, it should be possible for the District Collector to adjust these choices of MPs within the allocation and releases already made for the year 1994-95. 1994-95 में जो भी पहले कीम चल रही है उस स्कीम के अंतर्गत इसको वह एडजस्ट कर लें। कोई सैप्रेट फंड नहीं है, रामेश्वर ठाकुर जी ने कुछ दिन पूर्व जो यहां पर जवाब दिया था उसमें भी यह कहा गया है। मैं राज्य सभा की प्रोसिडिंग पढ़ रहा हूं - "फिलहाल हमारे पास अलग से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कोष नहीं है" यह उनका रिकार्डिड स्टेटमेंट है। उसके आगे उन्होंने यह कहा है, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संसद सदस्य स्थानीय विकास योजना को कार्यन्वित करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। उपसभापति महोदया, आप इस पर विचार करें। पहले तो यह स्कीम ही बहुत जल्दी में बिना सोचे समझे घोषित करदी गई। लोक सभा सदस्यों और राज्य सभा सदस्यों को पंचायत सदस्य अथवा लोकल बॉडीज के कार्पोरेटर बना दिए गया। पर उसके बाद अगर आपको पैसा नहीं देना था, पैसा नहीं था, यह आठ सौ करोड़ रुपए का एडिशनल एलोकेशन आपको नहीं करना था, तो आपने इसके बारे में दसों बार स्टेटमेंट क्यों दिया? फिर अधिकांश अखबारों में इसके खिलाफ लिखा भी है। हर आदमी आता है, पूछता है लोक सभा सदस्य से, राज्य सभा सदस्य से कि वह एक करोड़ रुपए की स्कीम थी, उसको आप कहां खर्च कर रहे हैं?

अब यह कह दिया कि जो स्कीमें पहले चल रही हैं उन्हीं स्कीमों के अंदर इसको एडजस्ट कर दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि यह प्लान का तीसरा साल है दिस इज थर्ड ईयर आफ द प्लान, जो स्कीमें लगातार तीन सालों से चल रही हैं क्या आप उसको बंद करेंगे? क्या उनको खत्म कर दिया जायेगा? अगर एम॰पीज ने स्कीम बताई है उसको थर्ड ईयर में कैसे शुरू करेंगे? थर्ड ईयर प्लान में शुरू नहीं हो सकती। 1993-94 में जो स्कीम पहले से सेंक्शन हैं उसके अंदर 94-95 की स्कीमें कैसे आ सकती है? यह फ्राड है, यह धोखा है सरासर। इस धोखे और फ्राड को गवर्नमेंट सीधे तौर पर बंद करे और यह कहे कि प्रधान मंत्री ने जो घोषणा की थी बिल्कुल बेबुनियाद थी, गलत घोषणा की गई थी या फिर उससे अलग जैसे 5 लाख पहले दिया है उसी तरह से एक करोड़ रुपये एम॰पीज के लिए स्पेशल एलोकेशन करें। इस विभाग की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने भी इसकी सिफारिश की थी कि इस रुपये को अलग से दिया जाए। मेरा माथा तब ठनका था जब इस साल के बजट के अंदर कोई प्रोविजन नहीं किया गया 1994-95 के बजट में देयर वाज नो प्रोविजन एट आल। कहा जा रहा कि जो रूरल डवलपमेंट का रुपया है उसी रूरल डवलपमेंट के अंदर इस स्कीम को किसी तरह से एडजस्ट कर लिया जाए ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा जा रहा है। उपसभापति महोदया, यह बहुत ही सीरियस मामला है। प्रधान मंत्री को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। अगर जिम्मेदारी ली है तो 800 करोड़ रुपये निकाले जाने चाहिएं और 800 करोड़ रुपये का एक स्पेशल एलोकेशन करना चाहिए था। अगर वह एलोकेशन नहीं किया तो वहां पर झगड़ा क्यों करवा रहे हैं। जो स्कीम पहले चल रही है उसको कैसे काटा जाए। राज्य सरकारें कह रही हैं नहीं काटा जाए और यह कह रहे हैं कि इनको काटा जाए और उसके स्थान पर एम॰पीज की स्कीमें डाल दी जाएं। (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल (उत्तर प्रदेश): यह जबर्दस्त हमारी इमेज खराब करने वाली बात है (**व्यवधान**) यह सब किया गया कांग्रेस पार्टी की मेज्योरिटी नहीं थी लोक सभा के अंदर यह साजिश इस के लिए की गई। (**व्यवधान**)

شری محمد افضل عرف م : - یہ زبردست ہماری
امیج خراب کرنے والی بات ہے .. "مداخلت"..
یہ سب کیا گیا کانگریس کی میجورٹی نہیں تھی
لوک سبھا کے اندر - یہ سب سازش اس
کے لئے کی گئی . . "مداخلت" . . .

श्री संघप्रिया गौतम (उत्तर प्रदेश): पब्लिक हमें निकलने नहीं देती। (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: पार्टी को मेज्योरिटी में लाने के लिए* और एक करोड़ की स्कीम लाई गई। (**व्यवधान**)

شری محمد افضل عرف م افضل : پارٹی کو میجورٹی
میں لانے کے لیئے * اور ایک کروڑ کی
اسکیم لائی گئی . . "مداخلت" . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Afzal Sahib, I am sorry. You cannot make such an allegation. You must have to

*Transliteration in Arabic script.

substantiate it. That allegation will not go on record. (*Interruptions*)... I am not allowing you. (*Interruptions*)... I am not allowing you. (*Interruptions*)... Mr. Afzal, please sit down. (*Interruptions*)....

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (उत्तर प्रदेश): प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की थी बाबरी मस्जिद नहीं गिरेगी (**व्यवधान**) उसमें धोखा हुआ। (**व्यवधान**) एक करोड़ रुपया देने की बात कही गई इसमें धोखा कर रहे हैं पूरे नेशन के साथ (**व्यवधान**)

مولانا عبیداللہ خان اعظمی:۔ پرائم منسٹر صاحب نے گھوشنا کی تھی بابری مسجد نہیں گرے گی .. "مداخلت" .. اس میں دھوکہ ہوا "مداخلت". ایک کروڑ روپیہ دینے کی بات کہی گئی اس میں دھوکہ کر رہے ہیں پورے نیشن کے ساتھ .. "مداخلت" ..

उपसभापति: बैठ जाइये। (**व्यवधान**) I am not allowing you. (*Interruptions*)... Afzal Sahib, I am telling you not to make any allegation without substantiating it. (*Interruptions*)...

अपने बहुत बड़ा एलीगेशन लगाया एम०पीज के ऊपर। (**व्यवधान**) It has not gone on record. I tell you, never make such an allegation. (*Interruptions*)... Don't do not. (*Interruptions*)....

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: मैंने कहा कि कोशिश की गई। (**व्यवधान**) यह सब जानते हैं। (**व्यवधान**)

شری محمد افضل عرف م۔ افضل:۔ میں نے کہا کہ کوشش کی گئی .. "مداخلت" ... یہ سب جانتے ہیں ... "مداخلت" ...

उपसभापति: आप एक मिनट बैठिये। I don't allow such a thing. (*Interruptions*)... I don't allow.

आप की जो भी समस्या हो, जो सरकार से शिकायत हो आप कर सकते हैं पर एक हद के दायरे में। आप मेम्बर पार्लियामेंट के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे है,

यह गलत है। I am also a Member I cannot allow such a situation. (*Interruptions*)... I am not allowing. (*Interruptions*)...

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: (**व्यवधान**) खुद इन्टरव्यू दिया है... (**व्यवधान**)

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: "مداخلت" ... خود انٹرویو دیا ہے .. "مداخلت" ..

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: एक मिनट में खत्म करता हूं।

उपसभापति: आपने बोल दिया। आपकी बात खत्म हो गई। (**व्यवधान**)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: प्रधान मंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए इस स्कीम को वापस लेने के लिए। (**व्यवधान**) नहीं तो 800 करोड़ रुपए क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं। (**व्यवधान**) पुरानी स्कीमें कहा से घुसेड़ी जा सकती हैं? (**व्यवधान**)

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : जो एलान किया गया है उसे वापस लेना चाहिए.. (**व्यवधान**)

مولانا عبیداللہ خان اعظمی :۔ جو اعلان کیا گیا ہے اُسے واپس لینا چاہیئے .. "مداخلت".

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: इनको एलान करना चाहिए ... (**व्यवधान**)

شری محمد افضل عرف م افضل :۔ ان کو اعلان کرنا چاہیئے .. "مداخلت" ....

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: एम०पीज पर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का खंडन किया जाए। (**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज: हमें भी एसोशिएट करने की इजाजत दें। (**व्यवधान**) हमने परमिशन मांगी है। (**व्यवधान**)

उपसभापति: जो कायदे में चलते हैं उनका नुकसान होता है, जो अपने टाइम पर बोलना चाहते हैं उनका नुकसान होता है, जो चेयरमैन से परमिशन लेते हैं उनका नुकसान होता है। (**व्यवधान**) अभी मेरे पास दूसरे

*Transliteration in Arabic script.

[उपसभापति]

लोगों के नाम भी हैं **(व्यवधान)** I am telling not only you but everybody who has associated. I am telling this to all of them.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am telling this to all of them. Mr. Virumbi. (*Interruptions*).

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा): महोदया, मैं केवल एक मिनट आपसे लेना चाहूंगी। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि विजय कुमार मल्होत्रा जी ने दो विकल्प रख दिये सदन के सामने और सरकार के सामने कि या तो योजना बंद कर दें या 800 करोड़ रुपये का एलोकेशन करें। मैं कहती हूं कि सरकार के सामने दूसरा विकल्प नहीं है। एक बार योजना की घोषणा हो चुकी है। एम०पीज़ से लोग अब जाकर तवक्को कर रहे हैं। हम लोगों ने स्कीमें बनायी हैं और सरकार के सामने रखी हैं इसलिए दूसरा विकल्प सरकार के सामने नहीं है। केवल एक विकल्प है सरकार के सामने कि 800 करोड़ रुपये का एलोकेशन करे और इस एक करोड़ की योजना ..**(व्यवधान)**... रामेश्वर ठाकुर जी सदन में मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि वह सदन को आश्वासन दें और कहें कि कब तक वह इस योजना की राशि का आबंटन करने जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): मंत्री जी मौजूद हैं इस सदन में ....**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज: मंत्री जी से कहिए कि वह रिएक्ट करें। ....**(व्यवधान)**...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam, on this very issue the Minister made a very elaborate reply. (*Interruptions*). How can the Minister reply again? (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: If you keep quiet, I will ask him to react. (*Interruptions*).

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Madam, kindly ask the Minister to react.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a minute.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAMESHWAR THAKUR): Madam, last week, some hon. Members raised this issue. I had explained in detail the provisions of the scheme and the guidelines. I don't think it necessary to repeat them. I would like to say that the scheme is well-conceived and it has been properly announced. It is being implemented in most of the States. There have been some difficulties....(*Interruptions*). Kindly try to understand me.

उप सभापति: अभी जरा ध्यान से सुनिए प्लीज़।

SHRI RAMESHWAR THAKUR: As Shri Malhotraji has stated, it is a well-known fact. I explained it in the last week in my statement that there is no separate allocation in the budget. (*Interruptions*). Please hear me. I explained it to the hon. Members. Even I gave the example of some States. I said that in one State sufficient funds have already been released by the Ministry of Rural Development to all the districts directly. We have requested the State Governments that the hon. Member's choice should be accommodated within the funds available. I gave one example also. (*Interruptions*). Please hear me. (*Interruptions*). Try to hear me. (*Interruptions*).

उप सभापति: सुन लीजिए, पहले बात सुनिए। यह कोई तरीका नहीं है कि पहले आप कहें कि रिएक्ट करो और फिर उन्हें बोलने नहीं दिया जाए। बैठिए।

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Please try to hear me. Last week, I gave the example of one State where Rs. 335 crores have been released. The expenditure in that State and in the districts, which has been reported by the State Government, is only 19 per cent and 17 per cent respectively. We have requested in writing to the hon. Chief Ministers and the State Governments that all the programmes of the Members of Parliament should be accommodated within the funds and if there was any paucity or shortage of funds, they should write to us so that more funds could be allocated to them. This matter was explained earlier. Madam, this scheme is being implemented. After we clarified the position, I think the most of the States

will do it. There should not be any difficulty.

श्री मोहम्मद अफजल ऊर्फ मीम अफजल: राज्य सभा के मेंबर को कैसे एकोमोडेट किया जायेगा। ...**(व्यवधान)**: राज्य सभा के मेंबर्स को किस तरह से एकोमोडेट करेंगे, यह मंत्री जी जरा बतलायें? ...**(व्यवधान)**

†[श्री محمد افضل عرف م - افضل: راجیہ سبھا کے ممبر کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جائیگا - ... "مداخلت" راجیہ سبھا کے ممبرس کو کس طرح سے اکوموڈیٹ کریں گے - یہ منتری جی ذرا بتلائیں - ... "مداخلت" ...]

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: I want to ask the Minister as to how the Rajya Sabha MPs are accommodated.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are not discussing that matter.

श्री रामेश्वर ठाकुर: गाइड लाइंस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य सभा के माननीय सदस्य को एक जिले का चयन करना होगा और उसकी सूचना वह राज्य सरकार और संबंधित कलक्टर को देगा। ...**(व्यवधान)** आप पूरी बात तो सुनिये। आप जानकारी नहीं रखते। मैं आपको विशेष जानकारी दे रहा हूं। इससे आप संतुष्ट हो जायेंगे। मैं सदन में कह चुका हूं, मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि इसमें राज्य सभा के माननीय सदस्यों को कोई कठिनाई नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: यह तो गाइड लाइन में लिखा हुआ है। सवाल आवंटन का है। ...**(व्यवधान)**

श्री रामेश्वर ठाकुर: गाइड लाइन को अगर अच्छी तरह से पढ़ें ...**(व्यवधान)**... माननीय सदस्य कृपया मेरी बात सुनें। ...**(व्यवधान)**...

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश): आप कृपया स्पष्ट करें कि इस बारे में केवल रेक्वेस्ट है या कोई उन पर बाईंडिंग भी होगी जिससे वे हमारी इच्छा के अनुसार खर्च करने के लिए मजबूर हों। बाईंडिंग होगी या नहीं यह बतलाइये?

श्री रामेश्वर ठाकुर: जो राशि राज्य सरकारों को खासतौर से हमारे मंत्रालय से भेजी है, उस संबंध में जो भी सूचनायें, जो भी निर्देश दिये गये हैं वे सर्वमान्य होंगे और हमें आशा है कि सभी राज्य इसे मानेंगे। ...**(व्यवधान)**... मेरी पूरी बात सुन लीजिये। ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: This matter is closed.

SHRI DIGVIJAY SINGH (Bihar): No, Madam. This matter has not been closed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, I am not allowing.

श्री दिग्विजय सिंह: ना, ना, यह बतायें ...**(व्यवधान)**... एक मिनट। आप यह बतलाइये कि यह आपकी रेक्वेस्ट है या डाइरेक्टिव है? ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति: आप बैठ जाइये।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अभी कुछ दिन पहले दूरदर्शन पर इसी विषय पर एक परिचर्चा हुई थी ...**(व्यवधान)**... उसमें पार्लियामेंटरी एफियर्स मिनिस्टर ने कहा था कि जितने एम०पीज हैं उनको एक करोड़ रुपया प्रति एम०पी० की दर से पैसा अलग से दिया जायेगा और उस राशि को प्रत्येक एम०पी० अपने-अपने क्षेत्र के विकास पर खर्च करेंगे। राज्य सरकार के साथ उनका कोई टकराव नहीं है। महोदया, राज्य सरकार के साथ तभी टकराव पैदा होगा जब जो राज्य सरकार की योजनायें हैं ...**(व्यवधान)**... उनमें से पैसा काटकर सांसदों को दिया जाये।

उपसभापति: आप बैठिये। नो मोर ...**(व्यवधान)**... आर्डर प्लीज।

डा० जगन्नाथ मिश्र (बिहार): महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार को यह सूचना देना चाहता हूं कि बिहार के किसी जिले में हम लोगों की अनुशंसा की कद्र नहीं है। इस संबंध में बिहार सरकार ने कोई हिदायत जारी नहीं की है कि सांसद की अनुशंसाओं पर ही वे स्कीमें लेनी हैं। जिस तरह से एक सांसद और विधायक कोई अनुशंसा करता है, ठीक उसी तरह से हम लोग अनुशंसा भेजते हैं और उनकी मर्जी है कि वे उसे स्वीकार करें या न करें। इससे एक भ्रम उत्पन्न हो गया है। हम लोगों की इच्छा से, हम लोगों की अनुशंसा से स्कीमें लागू होंगी, 10 लाख रुपये तक की स्कीमें लागू होंगी, ऐसा लोगों में भ्रम है। वे कहते हैं कि आपके पास एक करोड़ रुपया है, कहां खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोग विवश हो जाते हैं।

†Transliteration in Arabic Script.

[डा० जगन्नाथ मिश्र]

इसलिए आप सरकार को आदेश दें कि जवाहर रोज़गार योजना से अलग कर के बताएं कि यह सांसदों का पैसा है और उनकी अनुशंसा पर स्कीम स्वीकृत करनी है। सांसद कोई पैसा स्वयं अपने स्तर पर नहीं चाहते हैं। वे तो यह चाहते हैं कि उनकी अनुशंसा पर काम कराया जाए। यह जो भ्रम है, इस भ्रम को स्पष्ट करवाइये। **(व्यवधान)**

श्री दिग्विजय सिंह: मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत सरकार स्पष्ट रूप से कहे। अब उन्हीं के पैसे से हमें कहा जा रहा है कि हम को भी पैसा दें तो राज्य सरकार कहां से देगी? हमारा जो पैसा है वह अलग कीजिये कि यह 800 एम०पी० हैं और यह 800 करोड़ रुपया हम आपको भेज रहे हैं तभी उनको पैसा मिल सकता है। राज्य सरकारें तो अपनी भुखमरी की हालत में हैं अगर हम को जोड़ दिया जाएगा तो कभी हमारा काम नहीं होगा। इसलिए मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया है, डा० जगन्नाथ मिश्रा जी ने सही कहा है कि लोग ही लोगों से पूछते हैं कि आपको जो एक करोड़ मिला है वह आप कहां दे रहे हैं, कहां रखे हुए हैं। मंत्री जी के बयान के मुताबिक, आप अपनी राय मशविरा दें ....**(व्यवधान)**

उपसभापति: आप बोल चुके हैं। इसलिए आप जरा खामोश हो जाइये। दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बोलने की ख्वाहिश होगी। हाऊस का मतलब यह तो नहीं है कि एक ही इन्सान जिसकी आवाज बुलंद हो, वही बोलता रहे। जो दो खामोशी से बहुत देर से खड़े हैं, आप उनको इजाज़त दीजिये। आप ही के हाऊस के मैम्बर है। बोलिये।

SHRI DAVID LEDGER (Assam): Madam, I appreciate the introduction of the M.P. Local Area Development Scheme, which for the first time, has given an opportunity to the Members of Parliament to involve themselves with the process of development in their respective areas. Madam, I am inclined to share the concern expressed by my hon. colleagues in so far as the delay in release of funds under this scheme is concerned. Madam, I have a suggestion and this suggestion has already come from the Members of both the Houses. Madam, as per the guidelines, as the hon. Minister has said in the House, the money is to be at the disposal of the State Government — the Planning and Development Department. Then the money goes to the Deputy Commissioner. This is a time-consuming process. My suggestion is that the money should be sent directly to the Deputy Commissioner as the money is sent directly to the DRDA. The DRDA money from the Rural Development Ministry is sent directly to the districts. So, it is very convenient. Now, we have found that rupees five lakhs which you sanctioned for the year 1993-94 reached us very late because the money got stuck up in the State capital, in the Planning and Development Department. I would request the Minister to really consider this. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now just one minute ...*(Interruptions)*.. Just one second. I know this is a problem which is being faced by your State, Mr. Hanumanthappa's State, Rajasthan State, Madhya Pradesh, everywhere. Every State has that problem. Now, the problem is not of its getting delayed, the concern of the M.Ps, the Minister should listen is that the money is not there as the money has to come from the State Government itself. The concern of the M.P.s, Thakur Saheb, is that in case some Chief Ministers or the State Governments are not allocating funds for the development schemes under the guidelines which you have prepared for the M.P.s then what they should do? ...*(Interruptions)*... Let him answer. ...*(Interruptions)*...

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Madam, since 1993-94 the programme has been announced and for 1993-94, the token grant, separate rupees five lakhs per M.P. was to reach the Deputy Commissioner through the State Government. The State Government and the District Collectors are under the impression that for 1994-95 also individually separate rupees one crore will reach the Deputy Commissioners. This is impression number one. After the announcement of the project, the

Planning Commission has discussed it with the State Planning Departments and they have arrived at the plan. The State Governments have not proposed this money separately. The total amount involved is the plan prepared by the State Governments and discussed and approved by with the Planning Commission and that does not include this money. Here is the problem. Here the Ministry of Rural Development has to look into this.

Madam, in my own State, there are 40 MPs. An amount of Rs. 40 crores is not part of the State Plan at all. So, where from does the State Government get funds for this? You may say, "I have given you Rural Development Fund; You have got the money with you; you spend out of it; if you fall short of it, you take." But, how? My State's Plan does not include this 40 crore rupees at all. This is the problem in my State.

The State Governments go with certain plans before the Planning Commission. They agree. Whatever the MPs' proposals or developmental works, they are not included in the State Plan at all. Within the State Plan what have they done? The Deputy Commissioner says, "No, my plan document does not contain your proposal." Now, I request the Rural Development Minister to please sort this out with the Finance Ministry and the Planning Commission. Their assurance was that a separate amount would reach the Deputy Collector and that has been done in the first instance, by sending five lakhs for each MP. The State Governments and the District Collectors are still waiting for the one crore of rupees to take up the projects. They say, "Your money has not come and we are not taking up your projects." We are placed in such a predicament that I request the Rural Development Minister to please apply his mind to coordinating with the Planning Commission and the Finance Ministry and to solve this problem. ... **(व्यवधान)**...

उपसभापति: वे डिप्टी लीडर हैं पार्टी के।

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Madam, I have a suggestion. Really we are facing some difficulty, as my hon. friend, Shri Hanumanthappa, said and I would request the Rural Development Minister anything. Many departments are involved in this matter. Even hon. Prime Minister has also many times spoken in the House on this matter. We are here for 2-3 days more and we are going to adjourn on 26th. I request the hon. Rural Development Minister to take some time and arrive at some conclusion and after that to come with a detailed reply in the form of a Statement of Objects and Reasons or whatever form is convenient. I think it should end here and we should take up other matters and give time to Rural Development Minister to apply his mind and come to this House again.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): उपसभापति महोदया, इस सवाल को एक रोज हम लोगों ने और भी डिसकस किया था। आज भी यह सवाल उठ रहा है। इसलिए उठ रहा है कि हमारे मंत्री महोदय इसको कन्फ्यूज करते जा रहे हैं ...**(व्यवधान)** बिहार के रहे या दूसरी जगह के रहें। अभी भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिक्कत पैदा हो रही है कि इस फंड के नाम से कोई भी राशि राज्यों को नहीं गयी है। दिक्कत यहां से हो रही है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन जब तक रुपया उसके लिए अलग से नहीं देंगे तब तक यह काम नहीं होगा। माननीय सदस्य, डिप्टी लीडर आफ कांग्रेस पार्टी ने बहुत जायज कहा है। अभी भी दो दिन समय है, राज्य मंत्री प्रधान मंत्री से बात करें। इतने सप्लीमेंट्री विनियोग विधेयक नम्बर एक, दो, तीन, चार और पांच तो हम अभी पास कर ही रहे हैं, सिक्सथ भी कर देंगे। हम ही लोगों को करना है, सिक्सथ भी कर देंगे। लेकिन प्रधान मंत्री के साथ बात करके तीन दिन के अंदर एक स्पष्ट जवाब दें क्योंकि जो हम मेम्बर हैं उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, उनकी ईमानदारी का सवाल बन गया है। अब लोग डाउट करते हैं। इस तरह की बात हो रही है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको मंत्री जी गम्भीरता से लें। नहीं तो रोज रोज उठ बैठ करें तो करें। हम लोग फिर भी यहां उसको उठा देंगे। अगर आप आश्वासन नहीं देंगे तो कल भी आपसे उठ बैठ करवाएंगे। इसलिए आज ही आप फैसला कर लीजिए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Did you want to say something, Shri Ashok Mitra?

SHRI ASHOK MITRA (West Bengal): Madam, the whole sphere of activity of rural development impinges on the role and functions of the panchayat institutions. Either you believe in the panchayat institutions or you do not believe. Now, there are some State Governments which fervently believe that the main contents of rural development programmes should be decided by the elected panchayats and they are following the principle accordingly.

1.00 P.M.

They ask the Panchayats to decide upon the priorities, to decide upon the programmes. On top of this, if the Union Government want that the Members of Parliament should have a say in rural development, the Union Government should make a separate allocation. Now, what is happening? As a Member of Parliament, we are getting the worst of both worlds. There has been no allocation, whereas, in the entire country, for example when you talk to an ordinary shopkeeker in the market place, he says, 'you have got a crore of rupees'. This kind of impression is there. This kind of thing should not be allowed to happen. So, if Shri Rameshwar Thakur wants to send a letter with instructions to the State Governments, he had better send a cheque along with it.

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति महोदया, गत वर्ष जब इस योजना की घोषणा की गई थी उसके बाद जो सर्कुलर हम एम० पीज़ को आए है उसमें यह स्पष्ट लिखा गया था कि आप समय रहते आगामी वर्ष की योजनाएं भी जिलाधीश को भेजें और उसकी एक प्रतिलिपि योजना विभाग को भेजें। हमने इसी सर्कुलर के अनुसार समय रहते सारी योजनाएं बनाकर उसके सारे के सारे प्राक्कलन तैयार करवा करके संबंधित विभाग को भेजे हैं। मंत्री महोदय का कहना है कि उन्होंने यह निर्देश प्रादेशिक सरकारों को दे दिए हैं कि जो पैसा उनके पास है उसमें ही एम० पीज़ की स्कीम्ज़ को वह समायोजित करें। महोदया, जैसा कि आपको विदित है कि हिमाचल प्रदेश से हम सात एम० पीज़ हैं अर्थात् 7 करोड़ रुपया हिमाचल को जाना है और हिमाचल की आर्थिक स्थिति आज ऐसी है कि वह 7 लाख भी स्पेयर नहीं कर सकती 7 करोड़ की बात तो अलग रही और हमें इस प्रकार का जवाब योजना विभाग से और जिलाधीशों से बार-बार आ रहा है कि अभी तक जो अपेक्षित धनराशि है वह भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगा कि समय रहते वह प्रादेशिक योजना विभागों को यह पैसा अलग से भेजें क्योंकि जो आज स्कीमें चल रही हैं उसके लिए ही पैसा पर्याप्त नहीं है तो उसमें फिर एम० पीज़ की स्कीम्ज़ का कैसे समायोजन होगा।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि प्रधान मंत्री महोदय ने जो इस माननीय सदन में घोषणा की है उसका आदर रखते हुए मंत्री महोदय शीघ्रातिशीघ्र इस धनराशि का प्रावधान करेंगे।

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu): Madam, I want to say one word. Madam, some of the States, not Tamil Nadu, are in financial insolvency. They do not have money even for their plans, even to pay the salaries. (*Interruption*) Tamil Nadu is different. I am talking of some States warranting even financial emergency. Such States are there. And even the accounts are not audited. I do not want to go into those details, I do not want to enumerate those states. But if you ask those States to pay additionally, the States which do not have money, from where will they pay? And many of the States are in this condition. So, unless additional funds are sent, it is very difficult. As also been said, when their plans have already been approved, how do they accommodate? So, I would request the hon. Minister to take up the matter at the appropriate level.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, hearing the views of the Members from all the sections, from various political parties....(*Interruptions*) He will say the same thing that his State is in the North-East, and his State needs more money than Rs. 1 crore which he gets. But, Mr. Thakur has understood what the problem is. The scheme is announced. People know about it that there is a scheme. People think that the

Members have got one crore of rupees each, and wonder what the MPs are doing with that one crore of rupees. So, here is a question of respect and honour of the Member because people do not understand...(*Interruptions*) Just a minute. Please keep quiet. People do not understand these intricacies of the Planning Commission and the State Government and whatever it is. So, you have to make it very clear whether you are going to send the money or not going to send the money or you are going to abolish the scheme. So, as Mr. Sibtey Razi has mentioned, you please discuss it with the hon. Prime Minister and the Finance Minister and come back before we adjourn the House. Otherwise, this is going to create unpleasantness.

Re. Introduction and Passing Constitution Amendment Bill to include Tamil Nadu Reservation Act in Ninth Schedule of Constitution

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam, as you are aware, we have decided in the Business Advisory Committee to introduce a Constitution Amendment Bill to include the Tamil Nadu Reservation Act in the Ninth Schedule of the Indian Constitution. However, the newspapers are giving reports in some other way that the Centre might not go ahead with the Bill as the matter is pending before the Supreme Court. But, Madam, there was a precedent contrary to this perception. Yesterday, Dr. Kalaignar, the former Chief Minister of Tamil Nadu and President of the DMK party issued a press statement in which, *inter alia*, he said...

> "When the late Prime Minister, Indira Gandhi's appeal was pending in the Supreme Court against the verdict of the Allahabad High Court, the law was amended relating to the problem. It was all done for the sake of some individuals. But reservation was a live issue for crores of backward and most-backward people."

He also said:

> "The DMK would be left with no other option but to resume the stir as per the decision taken earlier by the parties fighting for social justice, if the Centre remained evasive on providing Constitutional protection for the Tamil Nadu Reservation Act."

I, Therefore, want a categorical assurance from the Leader of the House. He himself has assured that the Bill will be brought here on the 24th exactly, but now the newspapers are giving different stories.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): You were not in the House when it was given.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: They gave the assurance when we were boycotting the House. He gave the assurance on the condition that the Opposition comes to the House. We came back to the House and then he gave the assurance that it would be introduced, but it has not so far been introduced. Therefore, I want a categorical assurance from the Leader of the House that the Constitution Amendment Bill to include the Tamil Nadu Reservation Act in the Ninth Schedule will be introduced in this session itself. If you don't want to introduce it, please tell us. But don't take the people of Tamil Nadu for granted. The people cannot wait for an indefinite period. This is a life and death issue.... (*Interruptions*)....That is why our Kalaignar gave you the warning. It is not the opinion of an individual party but the collective opinion of all the parties, cutting across party lines. Therefore, I expect that the assurance that it will be introduced in this session itself would be fulfilled. Also it should be seen that it is passed without debating it. We will see that it is passed, if it is introduced. So I would like to have a categorical assurance from the Leader of the House. From the Opposition we have already expressed our views on this.